

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट- ग्राम पंचायत टहटडा
पीठासीन अधिकारी श्री सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.

वाद संख्या 2/219/14

अनुवान- गंगी बनाम रामनिवास वगैरा निवासी बबेली तहसील रैणी।

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट



01.05.2018:-आज यह पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत टहटडा पर मूल वाद के साथ पेश हुई। पटवारी हल्का बबेली तहसील रैणी द्वारा जांच रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान में अब विवाद नहीं है, तथा वादी अब प्रकरण में आगे कार्यवाही भी नहीं चाहते हैं, तथा प्रकरण की कार्यवाही समाप्त करने का निवेदन किया है। रिपोर्ट पटवारी पर वादी गंगी पुत्र हरलाल द्वारा अपने अगुंठा निशानी से प्रमाणित किया है।

उक्तानुसार रिपोर्ट पटवारी व वादीगण की सहमति पर कार्यवाही प्रकरण नो इन्स्ट्रैक्शन में मूल वाद के साथ खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंगन मूल वाद जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट टहटडा तहसील रैणी पर सुनाया गया।

(सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट- ग्राम पंचायत टहटडा